

न्यायालय श्रीगान् राजस्व मण्डल सर्किट कोटि रीवा जिला रीवा म०प०



₹ 30/-

प्र/मग/क्रमांक/ग्र.म/२०१७/२२१६

१. गुणेश्वर पुराव पिता स्व० श्री स्वामोदधाल ब्रा० साकिन करैदहा, तह० सिरमौर जिला रीवा म०प०
२. रामकली पति श्री स्व० श्री नागेश्वर पुराव
३. नागेन्द्र ४ दोनों के पिता स्व० नागेश्वर पुराव
४. राजेन्द्र ४

सभी नियम करैदहा तह० सिरमौर जिला रीवा म०प०

----- निगरानी कता/आवेदक

बनाम्

गोहित तिवारी पिता राजेन्द्र तिवारी सा० नेहरूनगर रीवा ४ बी० बी० एस० स्कूल
के पास ४ तहसील हुजूर जिला रीवा म०प० ----- गैरनिगरानी कता

निगरानी बाबत् राजस्व निरीक्षकमण्डल बैकुण्ठपुर
तहसील सिरमौर जिला रीवा क्षारा नक्षा तरफीम
दिनांक 25/2/2017 भूमि खारा क्रमांक 121/3
रकवा ०० १७८ है० स्थित ग्राम करैदहा पटवारी
हल्का माडौं कु० ५७ राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर
तहसील सिरमौर जिला रीवा म०प० के विरुद्ध
निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प० भू-राजस्व संहिता
1959 इ०

प्राप्तेदय,


निगरानी के आधार निम्न हैः-

१४ यहकि आराजी खारा क्रमांक 121/3 के भूमिस्वामी गैरनिगरानी कता
द्वारा राजस्व निरीक्षकमण्डल बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा म०प० में
स्थित है जिसे मिलकुल कर चोरी उिए तौर पर राजस्व निरीक्षक मण्डल बैकुण्ठपुर

कालांचल द्वारा

11/8/17

प्रकरण प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर द्वारा दिनांक 22-2-17 को की गई नवशा तरमीम कार्यवाही के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। तरमीम कार्यवाही म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 संहित 70 के अंतर्गत की जाती है एंव इन धाराओं में पारित आदेश अपील योग्य होता है। सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी प्रचलन-योग्य नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम व्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। तदनुसार निगरानी इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।



मुद्रित